न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 408/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00338)

1. इन्द्रा देवी पुत्री लक्ष्मण जाति कुमार ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति कुमार निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर जिला जयपुर दिनांक 18.02.1969 प्रकरण क्रमांक 190/67 उनवानी घीसीलाल बनाम लक्ष्मण जिसके द्वारा उन्होनें प्रार्थना पत्र नियम 14 उपनियम 4 के अन्तर्गत आंवटन आदेश का निरस्तीकरण।

उपस्थित—

1. श्री नरेश कुमार जैन, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —04.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 18.02.1969 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता लक्ष्मण पुत्र रामू जाति कुमार निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर को दिनांक 24.06.1967 को खसरा नम्बर 222 की 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि कृषि हेतु आंवटित की गई। आंवटन आदेश से व्यथित होकर घीसीलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन, नारायण पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मांचवा ने एक प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन रूल्स का अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर ने उक्त आंवटन आदेश दिनांक 18.02.1969 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी के पिता लक्ष्मण पुत्र रामू जाति कुमार निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर का निवासी था और अत्यन्त गरीब था, आय का कोई साधन ना होने के कारण वह काश्तकारी की मजदूरी करता था । भूमिहिन होने के कारण आवंटन सलाहाकार समिति कीसिफारिस पर दिनांक 24. 06 1966 को खसरा नम्बर 222 की 8 बीघा 5 विरचा भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई। इस आवंटन के विरूद्ध घीसीलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन, नारायण पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम माचवा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 उपनियम 4 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिस पर अतिरिक्त कलेक्टर जिला जयपुर ने निर्णय जैर अपील दिनांक 18.02.1969 को पारित करते हुऐ उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया । अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी एक पुत्री जो अपीलार्थीया व एक पुत्र जो तरतीबी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 है उनकी पत्नी छीतरी की भी मृत्यु हो चूकी है । अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.02.1969 के बारे में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थीया के पिता को कोई सूचना नही दी । अभी हाल ही में दिसम्बर माह में वादग्रस्त भूमि पर कुछ अन्जाने से व्यक्ति आये और वह कब्जा करने की फिराक में दिखे उनके बातचीत के तरिके से अपीलार्थीया को आशंका हुई तो उसने उनसे वादग्रस्त भूमि पर आने का कारण पूछा तो उन्होने बताया कि इस भूमि की नाप चौक करने आये है इस पर अपीलार्थीया ने अपने भाई से आवंटन के बारे में पुछा तो उन्होने भी कोई जानकारी न होना जाहिर किया । बहुत मुश्किलो के बाद अपीलार्थीया को यह जानकारी हो सकी कि इस जमीन बाबत घीसीलाल जी द्वारा कोई कार्यवाही राजस्व अपील अधिकारी, के न्यायालय में कर रखी है। अपीलार्थीया ने राजस्व अपील अधिकारी के कार्यालय से उस पत्रावली की जानकारी प्राप्त की तो उसे अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर, जिला जयपुर के आदेश की जानकारी हुई। उक्त जानकारी होने पर अपीलार्थीया ने अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर, जिला जयपुर के आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उसे दिनांक 17.12.2013 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त हुई। अपीलार्थीया काफी गरीब परिवार से है अपना गुजारा भी काफी मुश्किल से कर पाती है। यद्यपि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी व उसके भाई का कब्जा निरन्तर है पर इस भूमि से परिवार चलाने लायक आमदनी भी नही हो पाती है। काफी मुश्किल से कुछ रूपये – पैसे की व्यवस्था कर न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थीया को आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नही थी सर्वप्रथम नवम्बर माह के दिवाली के बाद कुछ व्यक्तियों का वादग्रस्त भूमि पर आने व राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन अपील की पत्रावली से प्रथम बार दिसम्बर माह में जानकारी हुई है। वास्तविक जानकारी दिनांक 17.12.2013 को अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से हो सकी है। इस प्रकार तारीख जानकारी से उपरोक्त परिस्थितियों के कारण यह अपील निर्धारित अवधि में पेश नहीं की जा सकी है और यह सभी कारण परिस्थितिजन्य कारण है जो क्षम्य है। आदेश जैर अपील दिनांक 18.02 1969 के विरूद्ध यह अपील उक्त कारण के साथ पूरे न्यायालय शूल्क पर प्रस्तुत की जा रही है। आज्ञा जैर अपील अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर दिनांक 18.02.1969 वास्तविकता के विपरीत, विधिविरूद्ध है, और इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। सूयोग्य अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर का अपने निर्णय में यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि सम्वत 2013, 2014–2016 में घीसीलाल ने इस भूमि को काश्त किया था अतः भूमि अनओकोपाइड भूमि नही थी, और इसलिए आवंटन के लिए उपलब्ध नही थी, खसरा नम्बर 322 का कूल रकबा 23 बीघा 10 विस्वा है जो कि सिवायचक अंकित भूमि थी इसमें से मात्र 8 बीघा 5 विस्वा भूमि अपीलार्थीया के पिता को आवंटित हुई थी। 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से किस भू–भाग पर घीसीलाल का कब्जा था इसकी जांच किये बिना आवंटित भूमि को ओकोपाइड भूमि मानकर भारी गलती की है। यहां तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त भूमि पर घीसीलाल का कब्जा था तो वह उस भूमि पर अतिक्रमी के रूप में था और अतिक्रमी द्वारा धारीत भूमि को कभी भी ओकोपाइड भूमि नही माना जा सकता ऐसी भूमि को अनओकोपाइड भूमि मानी जाती है जो आवंटन के लिए उपलब्ध होती है इस बिन्दू पर विचार किये बिना ही उन्होने न केवल विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है बल्कि क्षेत्राधिकार का भी गलत इस्तमाल किया है और क्षेत्राधिकार सम्बन्धि धारी त्रुटि कारित की है। आवेदन कर्ता घीसीलाल काफी धनाड्य परिवार से सम्बन्ध रखता है और राजनैतिक व्यक्ति है, अपनी राजनैतिक पहुँच के आधार पर उसने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया जिस को स्वीकार कर अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर ने भारी गलती कारित की है। अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर का अपने निर्णिय में यह लिखना गलत है कि आवंटन से पूर्व आवंटन प्रक्रिया के नियमो की पालना नही की गई है। जबकि आवंटन से पूर्व अपीलार्थीया के पिता ने आवंटन नियमो के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जिस पर पटवारी ने अपनी रिर्पोट दी है और इसके पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की बैठक ग्राम, माचवा में हुई और समिति ने प्रार्थना पत्र पर पूर्ण विचार करने के पश्चात सर्वसम्मिति से अपीलार्थीया के पिता के पक्ष में भूमि आवंटन

के आदेश पारित किये सूयोग्य अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर ने अपने निर्णय में कही भी इस बात का स्पष्ट वर्णन नही किया है कि आवंटन से पूर्व किस कानूनी प्रावधान की पालना नही की गई है। सूयोग्य अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर का निर्णय जैर अपील एक न्यायिक निर्णय नही है, बल्कि वह सरसरी तौर पर पारित निर्णय है जो सरसरी तौर पर आरबीट्रेटरी एण्ड कोन्टीट्रेटरी टू लॉ है जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र पर विचार करने से पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर ने ना तो आवंटन पत्रावली तलब कि और ना ही उसका अवलोकन किया और अवलोकन किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने में उन्होने भारी कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर निर्णय सुयोग्य अतिरिक्त कलेक्टर, जिला जयपुर दिनांक 18.02.1969 निरस्त फरमाया जावे और आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1967 को यथावत रखा जावे

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि घीसीलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन, नारायण पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मांचवा ने एक प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन रूल्स का अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि को अपीलान्ट व उसके शिकमी श्री गंगाराम दीर्घकाल से काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार कब्जा काश्तशुदा भूमि को अलॉट करना कानून गलत है। अलॉटमेन्ट के नियमों में प्रावधित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट श्री नाथू भूमिहीन काश्तकार नहीं है बल्कि उसके पास काफी भूमि काश्त की मिट्टी के बर्तन बनाना है। श्री लक्ष्मण का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.1967 को दिया जाना प्रतीत होता है और अलॉटमेन्ट का आदेश दिनांक 24.06.1967 का है। इस कारण प्रकरण में अलॉटमेन्ट की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.1969 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 24.06.1967 निरस्त किया जाकर निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर आदेश दिये गये हैं कि क्या विवादग्रस्त भूमि खाली है अथवा उस पर किसी का कब्जा है और क्या इससे अपीलान्ट का अलॉटमेन्ट हेतु कोई अधिकार बनता है, विवादग्रस्त भूमि के अलाटमेन्ट की कार्यवाही नियमानुसार पुनः की जानी चाहिये। उपरोक्त अनुसार जांच कर पुनः निर्णय लिया जाने के आदेश के आदेश पारित किये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश 18.12.1969 पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 18.12.1969 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 02.04.2014 को अपील लगभग 45 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसे दिनांक 17.12.2013 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त हुई है। अपीलार्थी का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी का यह कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसे अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 18.12.1969 की जानकारी नहीं थी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में लगभग 45 वर्ष विलम्ब का कोई ठोस व सन्तोषप्द्र कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जिसके कारण अपील करने में हुये लगभग 45 वर्ष के विलम्ब को कन्डोन किया जा सके। हम समझते हैं कि समयावधि के प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है। न्यायिक रूप से सर्वप्रथम यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं उचित होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये अन्यथा प्रकरण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.1969 द्वारा

अपील स्वीकार की जाकर अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 24.06.1967 निरस्त किया गया है। अधीनस्थ अतिरिक्त कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.1969 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.1969 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, तहसील कालवाड जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ.आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।